राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(8) वित्त/राजस्व/16 जयपुर, दिनांक: 10 MAR 2017

आज्ञा

श्री पूनम चन्द जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण/नियंत्रण/अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण दिनांक 13.07.2016 को राजस्थान लेखा सेवा की कनिष्ठ सेवा संवर्ग हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री जैन की वर्ष 2016–17 के लिए सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। से लेखाधिकारी (कनिष्ठ वेतन श्रृंखला) पद पर पदोन्नति अभिंशषा को बंद लिफाफे में रखे जाने की अनुशंषा की गई थी।

श्री पूनम चन्द जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को निदेशक, कोष एवं लेखा ने विभाग के आदेश संख्या एफ. 1(सी)1661/जांच/2015/1721–1724 दिनांक 08.09.2016 के द्वारा विचाराधीन विभागीय जांच में भविष्य के लिये सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण को समाप्त किये जाने के कारण राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के उपनियम (6) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त श्री जैन को उक्त नियमों के नियम, 28 (ए) के उप नियम 7(सी) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में पदोन्नति पर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री पूनम चन्द जैन की वरीयता वर्ष 2016–17 में चयनित श्री रामराय पोरवाल एवं श्री भागचन्द जाट के मध्य रहेगी।

श्री पूनम चन्द जैन का पदस्थापन पदोन्नति के उपरान्त लेखाधिकारी (Internal Audit), महानरेगा, सवाई माधोपुर के रिक्त पद पर किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (राजस्थान) जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव